कार्यालय उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, गोड्डा।
(खनन शाखा)

गोड्डा जिला के बसंतराय अंचल अन्तर्गत मौजा– कैथपुरा (कैथपुरा विद्यालय के समीप) एवं पोड़ैयाहाट अंचल अन्तर्गत मौजा– शिवनगर (शिवनगर पुल के पास) में भण्डारित बालू का आम निलामी हेतु सूचना।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपायुक्त के आदेशानुसार गोड्डा जिला के बसंतराय अंचल अन्तर्गत मौजा– कैथपुरा (कैथपुरा विद्यालय के समीप) में भण्डारित 7,020 घनफुट एवं पोड़ैयाहाट अंचल अन्तर्गत मौजा– शिवनगर (शिवनगर पुल के पास) में भण्डारित 10,000 घनफुट बालू खनिज का झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित नियमावली, 2017 एवं झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम– 54A के तहत् जब्त भण्डारित बालू खनिज इस विज्ञापन में उल्लेखित निम्न प्रक्रिया एवं शर्त्तों के साथ आम नीलामी दिनांक 14.08.2020 को समय 12:00 बजे मध्याह्न में अपर समाहर्त्ता, गोड्डा की अध्यक्षता में उनके समाहणालय स्थित सभागार में सम्पन्न की जायेगी–

लोक नीलामी की प्रक्रिया एवं शर्त्त :–

1. नीलामी में भाग लेनेवाले व्यक्ति/संस्था भारत के नागरिक होंगें तथा उनके पक्ष में गोड्डा जिलान्तर्गत कोई निर्माण/विकास कार्य आवंटित हो।
2. नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था को निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का 10% प्रतिभूति राशि के रूप में आवेदन–पत्र एवं जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के पदनाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट अन्य आवश्यक कागजात के साथ बन्द लिफाफा में जमा करना होगा, अन्यथा व्यक्ति/संस्था को डाक में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेंगा। सफल डाकवक्ता (अधिकतम राशि) की प्रतिभूति रकम को छोड़कर अन्य डाकवक्ता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट नियमानुसार वापस कर दिया जायेगा।
3. नीलामी में बोली गयी उच्चतम डाक की राशि का 10% में से प्रतिभूति राशि को छोड़कर शेष राशि डाक की समाप्ति या उपायुक्त/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निदेश दिये जाने पर नीलामी वाले तिथि को ही बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ऑनलाईन के माध्यम से उच्चतम डाकवक्ता द्वारा जमा करना होगा, अन्यथा उच्चतम डाकवक्ता को भविष्य में नीलामी में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
4. उच्चतम डाक की पूर्ण राशि नीलामी की तिथि से दो दिनों के अन्दर कार्यालय अवधि में ही भुगतान करना होगा। पूर्ण राशि के भुगतान में असफल रहने की स्थिति में दूसरे नम्बर के डाकवक्ता को उच्चतम डाक की राशि पर सहमति हेतु प्रस्ताव दिया जायेगा एवं उनके समर्थन या स्वीकार होने की स्थिति में यह नीलामी उनके पक्ष में घोषित किया जायेगा।
5. नीलामी के उपरान्त उच्चतम डाक की राशि के पूर्ण भुगतान के पश्चात् ही सफल डाकवक्ता के पक्ष में झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित नियमावली के सुसंगत नियमों के तहत् आदेश, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।
6. उक्त खनिज का उठाव/प्रेषण JIMMS Portal से निर्गत परिवहन चालान के माध्यम से आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से कर लेना होगा। विशेष परिस्थिति में कारणों सहित लिखित आवेदन पर समीक्षोपरान्त अवधि विस्तार पर निर्णय लिया जायेगा।
7. बन्दोवस्ती के पश्चात् बालू का प्रेषण करने में किसी प्रकार का अड़चन यथा पहुँच पथ बगैरह के कारण या किसी अन्य कारणवश नीलामीधारी, नीलामी किये गये बालू का प्रेषण नहीं कर पाते है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी नीलामीधारी की होगी तथा भुगतान की गयी राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार का दावा/कटौती मान्य नहीं होगा।
8. बालू निष्कासन के क्रम में यदि रैयती भूमि का उपयोग किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान नीलामीधारी द्वारा ही किया जायेगा।

9. अन्य शर्त्त एवं बंधेज झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (सभी संशोधनों सहित एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

10. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार उपायुक्त/अपर समाहर्त्ता को सुरक्षित रहेंगें।

11. नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/वैसी संस्था जो झारखण्ड सरकार अन्तर्गत किसी विभाग में निर्माण कार्य (Construction Work) हेतु निबंधित है या मनरेगा अन्तर्गत Vendor के रूप में निबंधित है एवं सक्रिय तथा क्रियाशील है। वर्तमान में गोड्डा जिला अन्तर्गत सरकारी कार्य आवंटित है, दिनांक 14.08.2020 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक जिला खनन कार्यालय, गोड्डा में लगे ड्रॉप बॉक्स में डालेंगें। आवेदन के साथ निम्नलिखित वांछित कागजात स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना होगा--

    (क) सुरक्षित जमा का 10% राशि निर्धारित प्रतिभूति रकम के रूप में,
    (ख) अद्यतन आयकर रिटर्न की छायाप्रति,
    (ग) GST निबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति,
    (घ) आवंटित कार्य के कार्यादेश की छायाप्रति,
    (ड़) पासपोर्ट साईज फोटो की एक प्रति,
    (च) स्वच्छ चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति,
    (छ) आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र जमा करना होगा कि खनन विभाग से संबंधित के भुगतान बकाया/लंबित नहीं हो एवं किसी विभाग द्वारा उनका नाम/संस्था काली सूची में दर्ज न हो ।

नोट : विशेष जानकारी के लिए जिला खनन कार्यालय, गोड्डा में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

DMO Godda

अपर समाहर्त्ता
गोड्डा
06/08/20